कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 01 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2018–19/30 दिनांक 10.09.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित शालाओं के लिए पद, बजट मद एवं बजट आवंटन किया गया है, इन शालाओं के लिए संस्था प्रधानों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ । समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हे निम्नांकित कार्य करने के लिए इन्हे अधिकृत करता हूँ :–

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना ।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना ।
5. वित्तीय नियमों एवं समय –समय पर जारी किये गये आदशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।
7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे ।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक–2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।

संलग्नः सूची

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19

दिनांकः 01.10.2018

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी 1/10/18
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

(30)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/बजट/बी–4/25605/2018–19/30 दिनांक :– 10/09/18

प्रधानाध्यापक,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पानी वाला गढा,
ग्रा0प0 माकोद, प0समिति तलवाड़ा,
जिला– बांसवाड़ा।

विषयः– **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप ऑफिस आईडी एवं पदों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19**

प्रसंग :– **राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1)शिक्षा–1/2015 जयपुर दिनांक 13.06.18 एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2017–18 दिनांक 17.07.2018**

––––0––––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानी वाला गढा, ग्राम पंचायत माकोद, पंचायत समिति तलवाड़ा जिला– बांसवाड़ा को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप क्रमोन्नत विद्यालय को स्वीकृत पदों का आवंटन एवं विस्तृत उपमद 01– संवेतन में राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु करते हुए **<u>ऑफिस आईडी का भी आवंटन किया जाता है।</u>** 01–संवेतन में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन मांग की जावे। आवंटित पदों का मिलान बजट मद सहित आईएफएमएस एवं शाला दर्पण से कर लिया जावे एवं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अवगत कराया जावे ताकि त्रुटि का सुधार किया जा सके।

क्र. सं.	ऑफिस आईडी	विद्यालय का नाम	जिला	लेखामद	पद का नाम	आवंटित पद संख्या	आवंटित राशि (लाखों में)
1	35395	GSS, PANI WALA GARHA (TALWARA)	BANSWARA	2202–02–796–02–01 (राज्य निधि)	प्रधानाध्यापक (L-14)	01	10.00
					वरिष्ठ अध्यापक (L-11)	06	
					शारीरिक शिक्षक श्रेणी III(L-10)	01	
					अध्यापक (L-10)	04	
					कनिष्ठ सहायक (L-5)	01	
					चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (L-1)	01	
					योगः–	**14**	**10.00**

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/बजट/बी–4/25605/2018–19/30 दिनांक :– 10/09/2018

प्रतिलिपिः–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्य.), कार्यालय हाजा को प्रासंगिक आदेशों के क्रम में।
5. उप निदेशक, माध्यमिक/ योजना अनुभाग।
6. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, ...
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय), ...
8. लेखाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त विद्यालय को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की कार्यवाही करावें।
9. अनुभाग अधि., शाला दर्पण अनु., कार्यालय हाजा को शाला दर्पण में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु।
10. प्रभारी, बी–5 प्रभाग, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग), कार्यालय हाजा को IFMS पर ऑनलाईन करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

<u>वित्तीय सलाहकार</u>

Scanned by CamScanner